कार्यालय उप तहसीलदार(राजस्व) मुकलावा

मुकदमा नम्बर : 21

सन् : 2019

सरकार बनाम रुपालीराम पुत्र पूरणाराम

निर्णय

दिनांकः–3/01/19

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित/उपस्थित नहीं अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामि हो चुकी है। बावजूद तामील के उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का अप्रार्थी ने चक 8SAD के मु0न0 55 किला नं0 — के कुल 3.036 हैक्टे0 रकबा नहरी/बारानी राजकीय भूमि को फसल रबी/खरीफ ख0सं0 में अनाधिकृत काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 की धारा 22 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उसे उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायोचित है। अतः मालगुजारी 1.50 प्रति हैक्टे0 — का तावान 50 गुणा राशि 228/- के दण्ड से दण्डित कर उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि की फसल नीलामी हेतु एक फर्द नीलामी प्रस्तुत करने हेतु ILR को लिखा गया

पटवारी हल्का की मतालबा ढालबाछ सम्बन्धित में कायम करनें एवं तावान वसूल करनें तथा उक्त रकबे से बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करनें हेतु आदेश जारी है। तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर 'घ' में मांग दर्ज कराई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाती है। बाद तरतीब तकमीन दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

उपतहसीलदार (राजस्व)
मुकलावा

Scanned by CamScanner